6.8 नागरिक चार्टर

दूरदृष्टि

मौजूदा संस्थागत व्यवस्था द्वारा जिन कला रूपों, क्षेत्रों, समाज के वर्गों और ऐतिहासिक कालावधियों पर अभी ध्यान नहीं दिया गया या उन्हें बरकरार नहीं रखा गया, उन पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण, प्रसार और संवर्धन करना।

मिशन

कौशल आधारित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के लिए धारणीय समाधानों के कार्यान्वयन के जरिए भारत की विविध मूर्त और अमूर्त संस्कृति और प्राचीन विरासत निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से संपूर्ण विश्व की पहुंच में होगी :

- नागरिकों और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए अनुरक्षण और संरक्षण संबंधी कानूनों और नीतियों को लागू करके मूर्त व अमूर्त विरासत तथा ज्ञान की विरासत की सुरक्षा करना, उसका विकास करना तथा उसे बढ़ावा देना।
- गांधीजी की विरासत का परिरक्षण करना और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और महान विभूतियों की जन्मशती मनाना।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण।
- राज्य सरकारों को नए संग्रहालय स्थापित करने तथा मौजूदा संग्रहालयों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार के माध्यम से देश के सभी अभिलेखीय आलेख का रख–रखाव करना।
- बौद्ध एवं तिब्बती संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना।
- क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक एवं परंपरागत कलाओं का विकास करना।
- ऐसे व्यक्तियों/कलाकारों एवं सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना जो दृश्य और साहित्यिक कलाओं में कार्य करते हैं।
- साहित्य अकादेमी (एस.ए.) और संगीत नाटक अकादेमी (एस.एन.ए.) द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के जरिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देना।
- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एन.एस.डी.) के माध्यम से देश में समकालीन महत्व के सशक्त थियेटर आंदोलन का विकास करना।
- देश के सभी प्रमुख पुस्तकालयों का उचित विकास एवं रख–रखाव सुनिश्चित करना।
- सशक्त, सक्रिय और वातावरण अनुकूल और प्रयोक्ता अनुकूल सांस्कृतिक वातावरण बनाने के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में सभी हितधारकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- संस्कृति के क्षेत्र में यूनेस्को कन्वेंशन का कार्यान्वयन तथा विश्व विरासत स्थलों/अमूर्त सांस्कृतिक तत्वों को सूचीबद्ध कराना।
- सांस्कृतिक करारों/सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, समझौता ज्ञापनों पर विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षर करना तथा भारत से बाहर विदेशों में भारत महोत्सवों का आयोजन करना ताकि विश्व में शांति हासिल करने के लिए संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का साधन बनाया जा सके।

मुख्यं सेवाएं/कार्य व्यवहार

क्र. सं.	सेवा/लेन देन	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	दूरभाष सं./पता	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	कलाकारों के लिए उचित रूप से सर्व सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रदर्शन स्थलों का निर्माण करने के लिए गैर–लाभ–अर्जक संगठनों तथा सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता। (स्टूडियो थिएटरों सहित निर्माण अनुदान के लिए मंच कलाओं में सांस्कृतिक कलापों हेतु वित्तीय सहायता के स्कीम घटक के अंतर्गत)	श्रीमती बी. आशा नायर, अवर सचिव (मंच कला)	partsection2@gmail.com	011 - 24610135 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी निकाय या अकादेमी की ओर से दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित अनुशंसा पत्र और आवश्यक संलग्नकों सहित निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाना अपेक्षित हैः निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहावलपुर हाउस, मंडी हाउस, नई दिल्ली –110001 को उनकी वेबसाइट https://nsd.gov.in. पर नोटिस के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है। ये आवेदन पूरे वर्ष के दौरान स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन पत्र पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं।	निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट http://indiaculture.nic.in/sites/default/files/Schemes/STF.pdf. पर उपलब्ध है।	शून्य
2	संबंधित गुरु (गुरु–शिष्य परम्परा के संरक्षण हेतु) द्वारा कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के	श्रीमती बी. आशा नायर, अवर सचिव (मंच कला)	partsection@gmail.com	011 - 24610135 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी निकाय या अकादेमी की ओर से दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित अनुशंसा पत्र और	निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://www.indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/revised_form_of_r	शून्य

	माध्यम से कला और संस्कृति के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार हेतु पर्याप्त संख्या में रंगमंडलों की व्यवस्था करने वाली नाट्य मंडलियों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों और बाल रंगमंच आदि के संगठनों को वित्तीय सहायता। [गुरु–शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के संवर्द्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत]			कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	आवश्यक संलग्नकों सहित निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है: निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहावलपुर हाउस, मंडी हाउस, नई दिल्ली –110001 को उनकी वेबसाइट https://nsd.gov.in. पर नोटिस के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है। ये आवेदन पूरे वर्ष के दौरान स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन पत्र पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं।	epertory_grant_11112022.pdf पर उपलब्ध है।	
3	साहित्य और कला इत्यादि के अपने–अपने विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता तथा उन्हें और उनके पति या पत्नी को चिकित्सा सहायता सुविधा भी प्रदान करना। (वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत)	श्रीमती बी. आशा नायर, अवर सचिव (मंच कला)	artistspension.moc@gmail.com ; documents.moc@gmail.com	011 - 24610135 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान का पूरा विवरण, उम्र और आय का प्रमाण और कलाकारों के बैंक खाता विवरण के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदनों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनकी सिफारिशों के साथ आगे की कार्रवाई हेतु निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, 56/1, सिविल लाइंस, एमएलएस हॉस्टल, नागपुर –440001 को भेजना अपेक्षित होता है। ये आवेदन पूरे वर्ष के दौरान स्वीकार किए जाते हैं।	निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://www.indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/Application_for_Scheme_for_Financial_Assistance_for_Veteran_Artists_09112022.pdf पर उपलब्ध है।	शून्य

4	युवा पीढ़ी को रचनात्मक अभिव्यक्ति और सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु टैगोर सांस्कृतिक परिसरों, सभागार, रवींद्र भवन, रंगशालाओं, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का सृजन करने तथा मौजूदा टैगोर रंगभवन इत्यादि का पुनरूद्धार नवीकरण, विस्तार, परिवर्तन, उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र, केंद्रीय/राजय सरकार की एजेंसियों / निकायों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर–लाभ–अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना। [सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के लिए वित्तीय	श्रीमती बी. आशा नायर, अवर सचिव (मंच कला)	चंतजेमबजपवद 2/हउंपसण्बव उ	011 - 24610135 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	आवश्यक संलग्नकों और दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित राज्य सरकार की अनुशंसा (केवल गैर–लाभ–अर्जक सांस्कृतिक संगठनों पर लागू) सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नलिखित पते पर प्रेषित किए जाएं: अवर "सचिव, मंच कला, अनुभाग–2, पुरातत्व भवन, जीपीओ परिसर, आईएनए, नई दिल्ली 110023" को भेजना अपेक्षित होता है। इन आवेदनों को पूरे वर्ष के दौरान स्वीकार किया जाता है।	निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://www.indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/Updated_Application_Form_of_TCC_07092022.pdf. पर उपलब्ध है।	शून्य

	सहायता की स्कीम]						
5	देश की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता। (कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों हेतु वित्तीय सहायता का स्कीम घटक)	श्री प्रवीन शर्मा, अवर सचिव (मंच कला)	partsection @gmail.com	24642148 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित आवश्यक संलग्नकों और केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र; प्रशासन के सांस्कृतिक विभाग/स्कन्ध की सिफारिश सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाना अपेक्षित है: अनुभाग अधिकारी, (मंच कला–1), संस्कृति मंत्रालय, कमरा नं. 205, द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली–110023 को भेजा जाना अपेक्षित है। किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट अर्थात https://www.indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/Draft_adv_02-09-21.pdf पर नोटिस अपलोड करने के माध्यम से और अग्रणी प्रिंट (दैनिक समाचारपत्र) में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं।	निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट http://indiaculture.nic.in/sites/default/files/Schemes/formnationalpresence.pdf. पर उपलब्ध है।	शून्य
6	नियमित रूप से प्रत्यक्ष लाइव प्रदर्शन के पहले अनुभव के संबंध विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों	श्री प्रवीन शर्मा, अवर सचिव (मंच कला)	partsection2 @gmail.com	24642148 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ	आवेदन आंमत्रित करने संबंधी नोटिस मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय – राष्ट्रीय विज्ञान	निर्धारित प्रारूप में आवेदन और आवश्यक संलग्नकों के विवरण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय – राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (एनएससी) की वेबसाइट	शून्य

	तथा महोत्सवों के दौरान खुले या बंद क्षेत्रों/स्थानों जहां भारी संख्या में दर्शक और पर्यटक नियमित रूप से आते हैं और बड़े कार्यक्रमों में जहां दर्शकों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है वहां दृश्य–श्रव्य स्पैक्टेकल्स में वृद्धि के लिए परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता।			कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	केंद्र (एनएससी) की वेबसाइट http://www.indiaculture.nic.in vkSj www.nscd.gov.in पर उपलब्ध हैं। निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरे हुए आवेदन सभी जांच सूची और सभी आवश्यक अनुसंलग्नकों के साथ ई–मेल director@nscd.gov.in / nscd101@gmail.com या अन्य वैध माध्यम से "निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, गेट नं .1 भैरों रोड प्रगति मैदान, नई दिल्ली– 110001 भेजनी होगी। ये आवेदन पूरे वर्ष के दौरान स्वीकार किए जाते हैं।	https://www.indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/Sub_component_1B_APPLICATION_31_01_2019.pdf पर उपलब्ध हैं।	
7	सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर आयोजित संगोष्ठियों, अनुसंधान कार्यशालाओं, महोत्सवों और प्रदर्शनियों को वित्तीय सहायता	श्री प्रवीन शर्मा, अवर सचिव (एस एंड एफ)	praveen.sharma68@gov.in	24642158 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	यह स्कीम वर्ष भर संचालित की जाती है। यह स्कीम एनसीजेडसीसी, प्रयागराज द्वारा कार्यान्वित एवं संचालित किया जाता है। यह स्कीम सीसीआरटी, द्वारका नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित और संचालित किया जाता है।	मंत्रालय की osclkbV www.indiaculture.nic.in पर उपलब्ध कराई गई जांच सूची के अनुसार	शून्य
8	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृति प्रदान करना (एस एंड एफ)	श्री प्रवीन शर्मा, अवर सचिव (एस एंड एफ)	praveen.sharma68@gov.in	24642158 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ	आवेदन प्रिंट मीडिया और सीसीआरटी और मंत्रालय की वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।	सीसीआरटी की osclkbV www.ccrtindia.gov.in और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट .indiaculture.nic.in पर जांच सूची के अनुसार उपलब्ध है।	शून्य

				कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	यह स्कीम सीसीआरटी, द्वारका, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित और संचालित किया जाता है।		
9	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों/व्यक्तियों को वरिष्ठ/ कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना।	श्री प्रवीन शर्मा, अवर सचिव (एस एंड एफ)	praveen.sharma68@gov.in	24642158 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	यह स्कीम सीसीआरटी, द्वारका नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित और संचालित किया जाता है। आवेदन प्रिंट मीडिया और सीसीआरटी और मंत्रालय की वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। ण	सीसीआरटी की वेबसाइट www.ccrtindia.gov.in और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in पर जांच सूची के अनुसार उपलब्ध है।	शून्य
10	सांस्कृतिक अनुसंधान हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृति प्रदान करना	श्री प्रवीन शर्मा, अवर सचिव (एस एंड एफ)	praveen.sharma68@gov.in	24642158 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	यह स्कीम एनएमएमएल, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित है । आवेदन एनएमएमएल और मंत्रालय की वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।	एनएमएमएल की वेबसाइट पर .nehrumemorial.nic.in और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in पर जांच सूची के अनुसार उपलब्ध है।	शून्य
11.	सेवा भोज योजना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर स्कीम (सीजीएसटी) और केंद्र सरकार का हिस्सा जिसमें एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) जो कच्ची खाद्य सामग्रियों जो धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों	श्री प्रवीन शर्मा, अवर सचिव (एस एंड एफ)	praveen.sharma68@gov.in	24642158 : डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	आवेदन प्रत्येक माह 1–15 तारीख तक आमंत्रित किये जाते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रालय की wwww.indiaculture.nic.in से देखी जा सकती है।	इस संबंध में दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in पर उपलब्ध हैं।	शून्य

	द्वारा जनता को निःषुल्क वितरित किया जाता है, की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना की स्कीम के तहत की जाती है।						
12	हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन एवं परिरक्षण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कॉलेज एवं विश्वविद्यालय भी पात्र हैं।	श्री मनीष राजन, अवर सचिव (बीटीआई)	maneesh.rajan@nic.in btisectionmoc@gmail.com	24642159 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	संस्कृति मंत्रालय द्वारा समाचार पत्रों तथा मंत्रालय की वेबसाइट ww.indiaculture.nic.in पर विज्ञापन देकर वित्तीय वर्ष विशेष के लिए विशिष्ट अवधि हेतु आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है। स्कीम दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित आवश्यक दस्तावेजों तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/उपायुक्त (लेह, लद्दाख, कारगिल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में) से संस्तुति पत्र सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन को अनुभाग अधिकारी, (बी.टी.आई. अनुभाग) संस्कृति मंत्रालय, कमरा नं. 209, द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, पुरातत्व भवन, जीपीओ काम्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली–110023 को भेजा जाना अपेक्षित है। इन आवेदनों को वर्षभर स्वीकार किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा योग्य संगठन को अनुदान की सिफारिश की जाती	मंत्रालय की वेबसाइटः www.indiaculture.nic.in पर उपलब्ध कराई गई जांच सूची / आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार।	शून्य

					है।		
13	बौद्ध / तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत बौद्ध / तिब्बती संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	श्री मनीष राजन, अवर सचिव (बीटीआई)	maneesh.rajan@nic.in btisectionmoc@gmail.com	24642159 डी विंग, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली	संस्कृति मंत्रालय द्वारा सामाचार पत्रों तथा मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in पर विज्ञापन देकर वित्तीय वर्ष विशेष के लिए विशिष्ट अवधि हेतु आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है। स्कीम दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित आवश्यक दस्तावेजों तथा राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / उपायुक्त (लेह, लद्दाख, कारगिल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में) से संस्तुति पत्र सहित विहित प्रपत्र में आवेदन को अनुभाग अधिकारी, (बी.टी.आई. अनुभाग) संस्कृति मंत्रालय, कमरा नं. 209, द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, पुरातत्व भवन, जीपीओ काम्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली–110023 को भेजा जाना अपेक्षित है। इन आवेदनों को वर्षभर स्वीकार किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा योग्य संगठन को अनुदान की सिफारिश की जाती है। आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाती है और अपूर्ण प्रस्तावों को आवेदक	संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in पर दी गई जांच सूची के अनुसार।	:शून्य

					संगठन को वापस लौटा दिया जाता है ताकिमियों को पूरा करने के पश्चात प्रस्तवों को पुनः प्रस्तुत किया जा सके। पूर्ण प्रस्तावों को विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ उनके समक्ष रखा जाता है जिसकी बैठक सामान्यतः प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के लिए, विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से 2 माह के भीतर संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं।		
14	संग्रहालय अनुदान स्कीम : इस योजना के 3 घटक हैं: क) क्षेत्रीय, राज्य, जिला स्तर पर संग्रहालयों की स्थापना और उनका विकास। ख) संग्रहालय के संग्रह का डिजिटलीकरण। ग) संग्रहालय व्यावसायिकों का प्रशिक्षण और उनमें क्षमता निर्माण करना।	श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, अवर सचिव (संग्रहालय–I)	museumone.pq@gmail.com	011.23380136 शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली	आवेदन पूरे वर्ष के दौरान स्वीकार किए जाते हैं। आवेदनों की जांच की जाती है और आवेदक संगठनों को अपूर्ण प्रस्तावों को वापस कर दिए जाते हैं ताकि वे कमियों को दूर करके पूर्ण आवेदनों को पुनः प्रस्तुत कर सके। पूर्ण आवेदनों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। यह समिति सामान्यतः एक वर्ष में दो बार बैठक करती है। विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से 2 माह के भीतर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं।	आवेदन पत्र ऑन–लाइन जमा करने की सुविधा http://csms.nic.in/login/index.php पर उपलब्ध है आवेदन प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट http://www.indiaculture.nic.in/museum-grant-scheme पर उपलब्ध हैं।	शून्य

15	विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन हेतु स्कीम। इसके 5 घटक हैं : 1. विज्ञान शहर। 2. विज्ञान केन्द्र (श्रेणी– I, II और III)। 3. नवाचार केन्द्र। 4. मौजूदा विज्ञान शहरों/विज्ञान केन्द्रों/नवाचार केन्द्रो का नवीनीकरण/उन्नयन। 5. डिजिटल तारामंडल/अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान शिक्षा केन्द्र (श्रेणी– I, II और III)।	श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, अवर सचिव (संग्रहालय)	bhoopender.singh@gov.in	011.23074359 शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली	आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं और प्रस्ताव संयुक्त सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय को भेजे जाने अपेक्षित हैं।	आवेदन प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट http://www.indiaculture.nic.in/scheme-promotion-culture-science-spocs पर उपलब्ध हैं।	शून्य
					यह प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एसपीओसीएस की कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) को अग्रेषित किया जाता है ताकि प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा सके और इसकी सिफारिश या अन्यथा समुक्तियां/टिप्पणियां संस्कृति मंत्रालय को भेजे जा सके।		
					अपूर्ण प्रस्तावों की कमियों को पूरा करने के बाद प्रस्तावों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए आवेदन को वापस कर दिया जाता है। एनसीएसएम द्वारा अनुकूल रूप से अनुशंसित प्रस्ताव को परियोजना मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है जिसमें संस्कृति मंत्रालय और एनसीएसएम के अधिकारी शामिल हैं।		
					एक बार जब प्रस्ताव को उपरोक्त समिति से अनुकूल मूल्यांकन प्राप्त हो जाता है तो इसे अंतिम अनुमोदन और संस्वीकृति के लिए परियोजना की लागत के आधार पर संस्कृति मंत्रालय		

					में सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है। अंतिम अनुमोदन के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अपनी पूरा हिस्सा जारी करने और एनसीएसएम द्वारा संतोषजनक निरीक्षण के अधीन विज्ञान केन्द्र आदि हेतु भूमि सौंपने के बाद परियोजना आरंभ हो जाएगी।		

सेवा मानक

क्र. सं.	सेवा/आदान–प्रदान	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई	डेटा स्रोत
1	कलाकारों के लिए उचित सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रदर्शन स्थलों का निर्माण करने के लिए गैर–लाभ–अर्जक संगठनों तथा सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता। स्टूडियो थिएटरों सहित निर्माण अनुदान के लिए मंच कलाओं में सांस्कृतिक कलापों हेतु वित्तीय सहायता के स्कीम घटक के अंतर्गत)	विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से अनुदान / पहली किस्त जारी करना	85	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
2	संबंधित गुरु (गुरु–शिष्य परम्परा के संरक्षण हेतु) द्वारा कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से कला और संस्कृति के संवर्धन एवं एवं प्रचार प्रसार हेतु पर्याप्त संख्या में रंगमंडलों की व्यवस्था करने वाली नाट्य मंडलियों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों और बाल रंगमंच आदि के संगठनों को वित्तीय सहायता। ([गुरु–शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के संवर्द्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत]	विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से अनुदान/ पहली किस्त जारी करना	85	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
3	साहित्य और कला इत्यादि के अपने–अपने विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता तथा उन्हें और उनके पति या पत्नी को चिकित्सा सहायता सुविधा भी प्रदान करना। (वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत)	विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी बैठक में अनुशंसित तिथि से वित्तीय सहायता जारी करना	12	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड

4	युवा पीढ़ी को रचनात्मक अभिव्यक्ति और सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु टैगोर सांस्कृतिक परिसरों, सभागार, रवींद्र भवन, रंगशालाओं, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का सृजन करने तथा मौजूदा टैगोर रंगभवन इत्यादि का पुनरूद्धार नवीकरण, विस्तार, परिवर्तन, उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र, केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर–लाभ–अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना। [सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम]	विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से अनुदान / पहली किस्त जारी करना	85	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
5	देश की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता। (कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों हेतु वित्तीय सहायता का स्कीम घटक)	विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से अनुदान / पहली किस्त जारी करना	85	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
6	नियमित रूप से प्रत्यक्ष (लाइव) प्रदर्शन के पहले अनुभव के संबंध विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों तथा उत्सवों के दौरान खुले या बंद क्षेत्रों/स्थानों जहां भारी संख्या में दर्शक और पर्यटक नियमित रूप से आते हैं और बड़े कार्यक्रमों में जहां दर्शकों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है वहां दृश्य–श्रव्य प्रभाव में वृद्धि के लिए परिसंपत्तियों के	विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से अनुदान / पहली किस्त जारी करना	45	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड

	सृजन के लिए वित्तीय सहायता।				
7	सांस्कृतिक समारोह निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर आयोजित संगोष्ठियों, अनुसंधान कार्यशालाओं, महोत्सवों और प्रदर्शनियों को वित्तीय सहायता	विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से अनुदान / पहली किस्त जारी करना	85	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
8	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृति प्रदान करना (एसएंडएफ)	आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से छात्रवृत्ति पुरस्कार	215	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
9	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों/व्यक्तियों को वरिष्ठ/ कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना	आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से छात्रवृत्ति पुरस्कार	215	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
10	सांस्कृतिक अनुसंधान हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना	राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक की तारीख से संबंधित संस्थानों द्वारा पुरस्कार पत्र	85	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
11	सेवा भोज योजना	ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जाती है और पात्र संगठनों को नामांकन संख्या आवंटित की जाती है । इसके बाद संगठनों को जीएसटी अधिकारियों, राजस्व विभाग से प्रतिपूर्ति के लिए संपर्क करने की आवश्यकता होती है।	..	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
12	हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन एवं परिरक्षण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कॉलेज एवं विश्वविद्यालय भी पात्र हैं। (बी.टी.आई)	विशेषज्ञ सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन की तारीख से वित्तीय सहायता जारी करना	110	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड
13	बौद्ध / तिब्बती संस्कृति और कला को बढ़ाने के लिए	विशेषज्ञ सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त	110	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड

	वित्तीय सहायता योजना के तहत बौद्ध / तिब्बती संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई जाती है।	के अनुमोदन की तारीख से वित्तीय सहायता जारी करना			
14	संग्रहालय अनुदान योजना	विशेषज्ञ समिति की बैठक की तारीख से अनुदान की पहली किस्त जारी	60	दिन	मंत्रालय के रेकॉर्ड

शिकायत निवारण तंत्र

सेवा मानकों का पालन न करने की स्थिति में, सेवा प्राप्तकर्ता/हितधारक अपनी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित लोक शिकायत अधिकारी (पीजीओ) से संपर्क कर सकते हैंः–

निदेशक/उप सचिव–प्रभारी (एआर और आईटी)
सी, विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
फोनः 011–23074357
ईमेल- arit-culture@nic.in

निम्नलिखित लिंक पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती हैः :- http://www.pgportal.gov.in
http://indiaculture.gov.in

अनिर्णीत शिकायत का निवारण

यदि शिकायत का निवारण लगभग एक महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो इसे उच्च स्तर पर निम्न नोडल अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता हैः–

ब्यूरो प्रभारी (एआर और आईटी)
कमरा नंबर 219–सी, विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
ईमेल– arit-culture@gov.in

हितधारकों/ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक
1.	आम जनता/गैर सरकारी संगठन
2.	सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त संगठनों की सूची

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र और अधीनस्थ संगठन	लैंडलाइन नंबर	ईमेल	पता	अभियुक्तियां
1	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	23075342	diradmasi@gmail.com dirpla.asi@gmail.com	24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।	संबद्ध कार्यालय
2	राष्ट्रीय अभिलेखागार	23387509 (नोडल अधिकारी) 23383436	archives@nic.in	जनपथ, नई दिल्ली – 110001	संबद्ध कार्यालय
3	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	(033) 2286 1697 (033) 2286 1781 (पीबीएक्स) ;033द्ध 2286 1733 (पीबीएक्स)	director@ansi.gov.in	27, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता – 700 016	अधीनस्थ कार्यालय
4	केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय	(033)24791721) 24791722	centralreferencelibrary@gmail.com	बेल्वेडियर, कोलकाता–700027, पश्चिम बंगाल	–वही–
5	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय	23386111 23384640: एक्सटेंशन 230	ngma.delhi@gmail.com	जयपुर हाउस, नई दिल्ली –100 003	–वही–
6	राष्ट्रीय पुस्तकालय	033.24792968: 033.24792467	nldirector@rediffmail.com	बेल्वेडियर, कोलकाता–700027, पश्चिम बंगाल	–वही–
7	राष्ट्रीय संग्रहालय	011.23018159 011.23018046	dg.nmnd@gov.in	जनपथ, नई दिल्ली 110001	–वही–
8	राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला	0522.2335359	dg.nrlc@gov.in	सेक्टर ई / 3, अलीगंज, लखनऊ – 226024	–वही–

9	राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण	23073837	ms-nma@nic.in	24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001	–वही–
10	ललित कला अकादेमी	23009260	cskrishnasetty@gmail.com krishna_setty2006@yahoo.com	रवीन्द्र भवन, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली – 110001	–स्वायत्त संगठन
11	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	23384288	nsd.director@gmail.com	बहावलपुर हाउस 1, भगवान दास रोड, नई दिल्ली – 1	–वही–
12	साहित्य अकादेमी	23386626/27/28 23073002 23387064 (सचिव)	secretary@sahitya-akademi.gov.in	रवीन्द्र भवन, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली	–वही–
13	संगीत नाटक अकादेमी	23382695 23385715	secretary@sangeetnatak.gov.in	रवींद्र भवन, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली – 1	–वही–
14	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	23979297 23958747	delhipubliclibrary@gmail.com	एस.पी. मुखर्जी मार्ग, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, दिल्ली – 110006	–वही–
15	खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी	06112.2371507	patcom-bih@nic.in	अशोक राजपथ, पटना – 800004	–वही–
16	नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय	23015333 23017089 एक्सटेंशन 201	ddnehrumemorial@gmail.com	तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली –110011	–वही–
17	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान	033.23373463/64	rrrlf_wb@nic.in	ब्लॉक डीडी –34, सेक्टर –1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता– 700 064	–वही–
18	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी	0595.2325045	raza-library@nic.in	हामिद मंज़िल किला, रामपुर, उत्तर प्रदेश –244 901	–वही–
					–वही–
19	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान	0982264391	cibsladakh@gmail.com	चोगलमसर, लेह–194104, लद्दाख (जम्मू और कश्मीर)	–वही–
20	केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान	03782.207030	directorcihcs@gmail.com	दाहुंग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश –790 116	–वही–
21	केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय	0542.2585148	registraroffice.cuts@gmail.com	सारनाथ रोड, मवैया, सारनाथ, वाराणसी– 221007, उ.प्र	–वही–
22	नव नालन्दा महाविहार	06112.281820	registrar@nnm.ac.in	नालंदा, बिहार –830111	–वही–
23	इलाहाबाद संग्रहालय	0532.2407834	Allahabadmuseum@rediffmail.co	चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, कमला नेहरू रोड,	स्वायत्त संगठन

			m	इलाहाबाद – 211 002	
24	भारतीय संग्रहालय	033.22521790	Indianmuseumkolkata2@gmail.com	27, जे.एन. रोड, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता –700 016	–वही–
25	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	0755.2661458	directorigrms@gmail.com	पोस्ट बॉक्स नंबर 2, शिमला हिल्स, भोपाल– 462 013, मध्य प्रदेश	–वही–
26	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद	033.23575544	dgo@ncsm.gov.in	33, ब्लॉक–जी.एन., सेक्टर–5, बिधान नगर, कोलकाता– 700 091।	–वही–
27	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	0120.2975619	registrar.nmi@gov.in	ए–19, इंस्टीट्यूषन एरिया, सेक्टर–62, नौएडा, उत्तर प्रदेष– 201309	–वही–
28	सालार जंग संग्रहालय	040.24576443	salarjungmuseum@gmail.com	हैदराबाद –500 002, तेलंगाना	–वही–
29	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	033.22235142	curatorvmh@gmail.com	1, क्वीन्स वे, कोलकाता–700071	–वही–
30	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र	25088638 25309300	dir.ccrt@nic.in	15–ए, सेक्टर –7, द्वारका, नई दिल्ली –110075	–वही–
31	गांधी स्मृति और दर्शन समिति	23392707 23392709 23392710	2010gsds@gmail.com gsdsadmo@gmail.com	1) 5, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली– 11 2) गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली –2	–वही–
32	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र	23383895	ms@ignca.nic.in msignca@yahoo.com	जनपथ, नई दिल्ली– 110001	–वही–
33	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान	044.24520836	edp@kalakshetra.in	तिरुवनमियुर, चेन्नई –600 041	–वही–
34	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान (एमएकेएआईएएस)	033.24862049	info@makaias.gov.in	5, अशरफ मिस्त्री लेन, (लवलॉक स्ट्रीट – बालीगंज सैन्य शिविर के सामने, कोलकाता –700 019	–वही–
35	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	24656249 9958643434	ceoncf2014@gmail.com	5 वीं मंजिल, पुरतत्व भवन, डी– ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली 23	–वही–
36	एशियाटिक सोसाइटी	033.22290779ए 22497250	gs.asiatic@gmail.com	1–पार्क स्ट्रीट, कोलकाता – 700 016	–वही–
37	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र	0532.2423698	directornczcc@gmail.com	14–सी.एस.पी. सिंह मार्ग, ए– डी जेंक टू सर्किट	–वही–

				होटल, प्रयागराज –211001	
38	उत्तर–पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र	03862.243573	nezccdimapurne@gmail.com	पोस्ट बॉक्स नंबर 98., दीमरपुर–797112, नागालैंड	–वही–
39	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र	0175.222202918	nzccindia@gmail.com	विरसा विहार केंद्र, भाषा भवन के पास, शेरनावाला गेट के अंदर, पोस्ट बॉक्स नं 80., पटियाला–147 1	–वही–
40	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र	0712.2565107	sczccnagpur1986@gmail.com	56/1, सिविल लाइंस, नागपुर –440001	–वही–
41	दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र	04362.240072	szcc1986@gmail.com	दक्षिणी, मेडिकल कॉलेज रोड, तंजावुर –613004, तमिलनाडु	–वही–
42	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र	0294.2422567	wzcccom@rediffmail.com	बरगोर की हवेली, गणगौर घाट, उदयपुर –313 001, राजस्थान	–वही–
43	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र,	033.23353093	ddfezcckolkata@yahoo.in	भारतीयम कल्चरल कॉमप्लेक्स – बी, 201, सेक्टर–3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700106	–वही–

सेवा पाने वालों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं–

- वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए आवेदन/प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- आवेदन/प्रस्ताव के साथ संबंधित दस्तावेज/संलग्नक प्रस्तुत किए जाएं। जांच सूची का पालन किया जाए।
- सेवा देने के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं के लिए समय सीमा, यदि कोई निर्धारित की गई हो, तो उसका पालन किया जाए।
- किसी पूछताछ/शिकायत से पहले किसी भी मामले में संबंधित कर्मचारी से सूचना/अद्यतन स्थिति के बारे में जांच कर लेनी चाहिए।
- अनुदान की किश्तें उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएंगी। सभी उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समाधान होना चाहिए।
- सिटिजन/क्लाइंट्स चार्टर में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में शिकायतें निम्नलिखित पोर्टल पर की जा सकती हैं।

केंद्रीय जन शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम) http://pgportal.gov.in